बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

(15) (19)

संकल्प

श्री प्रशान्त राहुल, श्रम अधीक्षक, कटिहार के विरूद्ध परिवाद प्राप्त हुआ, जिसमें डॉ0 आई मौलिक, जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथपुरी रोड, कटिहार द्वारा यह आरोप लगाया कि उन्होंने बिहार दूकान एवं प्रतिष्ठान अधनियम के अन्तर्गत अपने क्लीनिक के लाइसेंस बनाने हेतु सभी कागजार दिनांक-- 19.06.2014 को श्रम अधीक्षक कार्यालय, कटिहार में जमा किया है। परन्तु लगभग एक वर्ष बीत जाने के बाद भी एवं निरीक्षण किये जाने के बावजूद उक्त क्लीनिक का लाइसेंस निर्गत नहीं किया गया एवं इसके लिए श्रम अधीक्षक द्वारा मोटी रकम की मांग की गयी। इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी, कटिहार से विभागीय पत्रांक–1212 दिनांक 05.05.2015 द्वारा जॉच प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, कटिहार के कार्यालय का पत्रांक 2819 दिनांक 19.09.2015 द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जिसमें जिला पदाधिकारी द्वारा यह प्रतिवेदित किया कि संबंधित क्लीनिक का निबंधन पत्र दिनाक 04.06.2015 को हस्तगत करा दिया गया है एवं इस संबंध में शिकायतकर्त्ता को कोई शिकायत नहीं है। इसके साथ श्री राहुल को जिला पदाधिकारी, कटिहार को सहायक श्रमायुक्त का कार्यालय के पत्रांक 614 दिनांक 27.06.2015 द्वारा भेजा गया स्पष्टीकरण भी संलग्न है, जिसमें श्री राहुल का कहना था कि कार्यालय में लिपिकों की कमी है। अतः ससमय आवेदन का निष्पादन करना संभव नहीं हो पाता है एवं यह कि वे एक बार समय निकालकर क्लीनिक पर गये भी थे, परन्तु क्लीनिक बन्द रहने के कारण निरीक्षण नहीं हो पाया।

2. चूँकि यह मामला निबंधन के लिए परेशान करने का प्रतित हो रहा था अतः विभागीय पत्रांक–2986 दिनांक–13.10.2015 द्वारा निबंधन से संबंधित सभी कागजात श्रम अधीक्षक, कटिहार से मांग की गयी, जो सहायक श्रमायुक्त का कार्यालय, कटिहार के पत्रांक 753 दिनांक 09.11.2015 द्वारा प्राप्त हुई। इसके बाद विभागीय पत्रांक 24 दिनांक 05.01.2016 के द्वारा श्री राहुल से स्पष्टीकरण की मांग की गयी किस परिस्थिति में इस निबंधन को एक वर्ष का समय लगा। इसके आलोक में श्री राहुल का स्पष्टीकरण पत्र दिनांक 06.02. 2016 को प्राप्त हुआ, जिसमें श्री राहुल ने मूल तौर पर कार्य की अधिक्त, कार्यालय में कर्मियों की कमी, तत्कालीन माननीय विभागीय मंत्री के दौरे में व्यस्तता इत्यादि का हवाला दिया है।

3. पुनः विभागीय पत्रांक 883 दिनांक 17.03.2016 द्वारा श्री प्रशान्त राहुल, श्रम अधीक्षक, कटिहार द्वारा दिनांक 19.06.2014 से 04.06.2015 तक प्रतिष्ठानों के निबंधन का ब्यौरा मांगा गया, जो उप श्रमायुक्त, पूर्णिया के पत्रांक– 941 दिनांक 03.08.2016 द्वारा प्राप्त हुआ। उप श्रमायुक्त, पूर्णिया से प्राप्त सूची से स्पष्ट हुआ कि डॉ0 आई मौलिक का निबंधन के लिए आवेदन पत्र लंबित था, 67 अन्य निबंधन निर्गत किय गये एवं इसमें से कुछ मामले ऐसे हैं, जिनमें आवेदन प्राप्ति के दो–चार दिनों के अन्दर ही निबंधन निर्गत किया गया है। इस तरह में एकरूपता नहीं बरती गयी। इस संबंध में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम– 19 के तहत श्री राहुल से विभागीय पत्रांक 2649 दिनांक 07.09.2016 द्वारा कारणपृच्छा की मांग की गयी।

4. आरोपी पदाधिकारी से पूछे गये उक्त कारणपृच्छा के आलोक में सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, पूर्णिया प्रमण्डल, कटिहार के पत्रांक 785 दिनांक 27.10.2016 द्वारा श्री प्रशान्त राहुल, श्रम अधीक्षक, कटिहार कारणपृच्छा का उत्तर प्राप्त हुआ, जिसकी समीक्षा की गयी समीक्षोपरांत यह पाया गया की श्री राहुल ने अपने उत्तर में कोई नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है। श्री राहुल ने परिवादकत्ता को एक पत्र दिया है एवं उसके जबाब को संलग्न करते हुए यह कहने का प्रयास किया है कि चूँकि परिवादकर्त्ता को कोई शिकायत नहीं है इसलिए उन्हें इस मामले में दण्डित नहीं किया जाए एवं यह प्रक्रियात्मक विलम्ब है। श्री प्रशान्त राहुल द्वारा डॉ0 आई मौलिक के आवेदन पत्र का ससमय निष्पादन नहीं करने का कोई ठोस कारण नहीं बताया जा सका।

5. अतएव श्री प्रशांत राहुल, श्रम अधीक्षक, कटिहार के स्पष्टीकरण को अमान्य करते हुए बिहार सरकारी सेवक आचरण (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के भाग–V, कंडिका–14 की उप कंडिका (V) के तहत लघुदण्ड स्वरूप उनकी 2 (दो) वेतन वृद्धियॉ असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

कृ0पृ0उ0